कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज

दिनांक : अप्रैल, 05 2023

पत्र सं0: एफ0पी0/सी0एफ0ओ/आई–3/2023

सेवा में,

प्रबन्धक
संस्कार इन्टरनेशनल स्कूल
सुलेम सरायं, प्रयागराज

विषय– संस्कार इन्टरनेशनल स्कूल सुलेम सरांय, इलाहाबाद में लगी अस्थायी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–पत्र संख्या–निल दिनांक 30.03.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र संख्या–निल दिनांक 30.03.2023 के अनुसार विद्यालय भवन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो आख्या निम्नवत् है :–

भवन की संरचना :–

1. कुल प्लाट एरिया– 4566 वर्गमीटर
2. निर्मित भूखण्ड एरिया– 2501 वर्गमीटर
3. भवन की ऊँचाई– 6 मीटर
4. भवन का अधिभोग एवं हजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन एन0बी0सी0–2005 के अनुसार संस्थागत समूह के (सी–1 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

ढांचागत व्यवस्थायें :–

1. पहुँच मार्ग– फायर टेण्डर पहुँच सकता है।
2. सेट बैक– संतोषजनक

अग्निशमन/सुरक्षा व्यवस्था :–

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकृत चिन्ह् युक्त अग्निशामक मानक के अनुरूप ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशन क्षमता–4 किग्रा0–4 अदद कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाया गया।

अतः उपरोक्त उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर उक्त विद्यालय भवन को अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है–

1. भवन प्रबन्धक का दायित्व होगा कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनायें रखने हेतु मैन्टीनेंस शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाय।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन का द्वितीय तल जो निर्माणाधीन है, को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व मानक के अनुसार अन्य अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करनी होगी।
8. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

(आर0के0 पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज

Sanskar International School
Manager